क्रमांक 468-3 जी0 एस0-11-71/3664

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल तथा हरियाणा के सभी उपायुक्त और उपमण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 11 फरवरी, 1971

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान हरियाणा के परिपत्र क्रमांक 9054-4 जी0 एस0-70/32230 दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 की ओर आकर्षित करूं जोकि सरकारी कर्मचारियों के सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान वह अन्य सुविधाएं देने के बारे में है, और कहूं कि इस सम्बन्ध में अवर सचिव, प्रशासन के अधीन मुख्य सचिव, संगठन के में एक वैलफेयर सैल (Welfare cell) स्थापित करने का फैसला किया है । यह सैल दी जाने वाली सुविधाओं को जल्द देने और मृत कर्मचारियों के परिवारों को, सदस्यों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करेगा ताकि वे अपना पुनर्वास कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें ।

2. अनुरोध है कि कर्मचारियों के देहान्त के बारे में सम्बन्धित विभाग इस सैल के अधिकारी इन्चार्ज को 24 घण्टे के अन्दर तार द्वारा सूचित करें व इसके साथ उसके परिवार के निवास स्थान का पता भी दें । इस सूचना के प्राप्त होने पर सैल दुखित परिवार के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करके अनुग्रहपूर्वक अनुदान से सम्बन्धित फार्म भरने के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवथा करेगा । ऐसे पग उठाए जायेंगे जिनसे कि केस का निपटान तथा अनुग्रहपूर्वक अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके । सैल सम्बन्धित परिवार के सदस्यों को जी0 पी0 फण्ड व बीमा पालिसी की राशि की प्राप्ति में भी सहायता करेगा ।

3. इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों को वैलफेयर सैल की ओर से शनाखत कार्ड (Identity Card) भी जारी किए जाएगें जोकि हर वर्ष नवीकरण (Renew) किए जाएंगे । इस सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुसार यह शनाखती कार्ड उनकी सरकारी हस्पतालों के मुफ्त डाक्टरी इलाज एवं बच्चों की डिग्री (Degree) तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होंगे ।

4. अनुरोध है कि इस पत्र की पावती भेजें और इन अनुदेशों की पालना के लिए आवश्यक पग उठाए जाएं ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप-सचिव, सचिवालय स्थापना

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।